उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानो रोड़ रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

संख्याः 1074 /परीक्षा–विविध/2022–23 दिनांक : 23 सितम्बर, 2022

।। कार्यालय ज्ञाप।।

विषय :– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में आपराधिक /कदाचारयुक्त कृत्यों में संलिप्तता के कारण मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा.लि., लखनऊ को आयोग के कार्य से विवर्जित (Debar) किये जाने के सम्बन्ध में।

मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, 28 प्रथम तल, आदर्श काम्प्लैक्स, इंजीनियरिंग कालेज क्रासिंग, जानकीपुरम, लखनऊ द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं का संचालन किया गया है। आयोग द्वारा उपर्युक्त सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से दिनांक 04 एवं 05 दिसम्बर, 2021 को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा एवं दिनांक 26 दिसम्बर, 2021 को सचिवालय रक्षक पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किये जाने के सम्बन्ध में स्पेशल टास्क फोर्स, देहरादून द्वारा जांच प्रगति पर है।

प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, देहरादून के पत्रांक–एसटीएफ–विविध/2022 (UKSSSC) दिनांक 25–08–2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई अंतरिम जांच आख्या के आधार पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या–963/परीक्षा दिनांक 01–09–2022 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन प्रा0लि0, लखनऊ को उपर्युक्त अनियमितताओं के मामले में कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स देहरादून के पत्रांक एसटीएफ–विविधि/2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि प्रश्न पत्र लीक के सम्बन्ध में थाना रायपुर, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0स0 289/2022 धारा 420/467/468/471/34 भा0दं0वि0 व 3/4/5/9/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1998 बनाम शूरबीर आदि की विवेचना के दौरान आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, लखनऊ के कुल पांच अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है तथा वर्तमान में आगे की जांच चल रही है। मुकदमें की विवेचना के दौरान उक्त परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के कारण गिरफ्तार उपर्युक्त फर्म के अभियुक्तगण का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. राजेश कुमार पुत्र हरस्वरूप, आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, बी–2/97, सैक्टर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (उपर्युक्त फर्म का स्वामी)।

2. संजीव कुमार पुत्र हरस्वरूप, निवासी एल 5/304, गुलमोहर गार्डन, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मूल निवासी ग्राम ताराबाग तहसील ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश (फर्म के स्वामी राजेश कुमार का भाई)।
3. जयजीत दास पुत्र विमल दास, निवासी भिस्वा थाना महाराजगंज, कोतवाली उत्तर प्रदेश हाल निवास दक्षेश डेरी के पास, पण्डितवाड़ी, देहरादून (मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन का कर्मचारी)।
4. अभिषेक बर्मा पुत्र विजेन्द्र प्रताप निवासी ग्राम शेरपुर, थाना तालगांव, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश हाल निवास ग्राम सरकपुर, थाना बक्शीतालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0 का कर्मचारी)।
5. विपिन बिहारी पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम न्यामपुर, थाना तालगांव ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश, हाल निवास जानकीपुरम् लखनऊ, उत्तर प्रदेश (मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, लखनऊ का कर्मचारी)।

इसके अतिरिक्त थाना रायपुर, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0–351/2022 धारा 420/467/468/471/120 (बी) भा0द0वि0 व 9/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम बनाम प्रदीप पाल आदि में भी मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, लखनऊ के कुल तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है और इसकी भी विवेचना प्रगति पर है। इस मुकदमे में फर्म के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. राजेश कुमार पुत्र हरस्वरूप, आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, बी–2/97, सेक्टर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (फर्म के स्वामी)।
2. प्रदीप पाल पुत्र गया प्रसाद, निवासी बलीपुर, पो0 व थाना हैदरगढ़, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश (मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0 का कर्मचारी)।
3. जयजीत दास पुत्र विमल दास, निवासी भिस्वा थाना महाराजगंज कोतवाली उत्तर प्रदेश हाल निवास दक्षेश डेरी के पास पण्डितवाड़ी, देहरादून (मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) का कर्मचारी)।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त मुकदमों में गिरफ्तार अभियुक्तों में मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन प्रा0लि0, लखनऊ के न केवल कर्मचारी, बल्कि फर्म के स्वामी भी आपराधिक एवं कदाचारयुक्त कृत्यों में लिप्त पाए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं की अपूरणीय क्षति हुई है।

आयोग द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 01–09–2022 के प्रत्युत्तर में फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि फर्म के दो कर्मचारी जयजीत दास व अभिषेक वर्मा को तत्काल प्रभाव से बरखास्त किया जा चुका है तथा तदोपरान्त दो अन्य कर्मचारी विपिन बिहारी एवं प्रदीप पाल को भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर हटा दिया गया है। इस तरह उक्त फर्म द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके कर्मचारी पेपर लीक की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। फर्म का यह कथन कि इन कर्मचारियों के आपराधिक कृत्यों से फर्म तथा फर्म का मैनेजमेंट बोर्ड व पार्टनर्स अनभिज्ञ थे, अविश्वसनीय और तथ्यों से परे है, क्योंकि स्पेशल टॉस्क फोर्स द्वारा उपरोक्त आपराधिक व कदाचारपूर्ण कृत्यों के मामले में फर्म के स्वामी राजेश चौहान एवं उनके भाई संजीव कुमार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

चूँकि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न–पत्रों का प्रकाशन मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0 की प्रेस में किया जाता था, इसलिए फर्म का यह कथन भी मान्य नहीं है कि प्रश्न–पत्रों के प्रकाशन, निकासी/निर्गमन में उक्त फर्म/मैनेजमेंट बोर्ड/पार्टनर्स की कोई दखलन्दाजी नहीं होती थी। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स, देहरादून के पत्रांक एसटीएफ–विविधि/2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई समग्र जांच आख्या फर्म के दावे को गलत सिद्ध करती है। वस्तुतः आयोग की परीक्षाओं की गोपनीयता के दृष्टिगत फर्म को विश्वसनीय सहयोगी की भूमिका निभाने हेतु परीक्षा सम्बन्धी संवेदनशील कार्य सौंपे गये थे, परन्तु फर्म ने प्रश्न–पत्र लीक कर आयोग से विश्वासघात कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जो अक्षम्य है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को उपर्युक्त फर्म के साथ उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं हेतु हुए अनुबन्ध के बिन्दु संख्या–7 में स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि परीक्षा की संवेदनशीलता के दृष्टिगत फर्म को इस कार्य में पर्याप्त अनुभव वाले विश्वस्त कर्मी ही लगाने होंगे और कार्य पूर्ण गोपनीयता के साथ सम्पादित करना होगा तथा फर्म द्वारा गोपनीयता में किसी भी स्तर पर लापरवाही किए जाने पर फर्म पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि फर्म द्वारा पेपर लीक जैसे जघन्य कृत्य से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ–साथ राज्य सरकार की छवि भी धूमिल हुई है और आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन के लिए फर्म को किया गया भुगतान निरर्थक साबित हुआ है। प्रश्न–पत्रों की गोपनीयता भंग होने के कारण कई परीक्षायें निरस्त होने से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अतः उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, लखनऊ के स्वामी एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये उपर्युक्त गंभीर अपराध, अनैतिक व कदाचारयुक्त कृत्यों के कारण इस फर्म को भविष्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सम्बंधित सभी कार्यों के लिए विवर्जित (Debar) किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार मैसर्स आर0एम0एस0 टैक्नोसोल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, लखनऊ भविष्य में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सम्बंधित कोई भी कार्य करने के लिए अपात्र है।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रधान सचिव/कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, प्रत्येक राज्य के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, एस0एस0सी0 नई दिल्ली।
5. सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य।
7. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/बोर्ड, प्रत्येक राज्य।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल/वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून